# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 364/2010/जयपुर**

मैसर्स शिप मिनरल वाटर,
एच–1–786, सीतापुरा इण्डस्ट्रियल एरिया,
सांगानेर जयपुर ..... अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(अपील्स)चतुर्थ,
वाणिज्यिक कर, जयपुर
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, वृत–सी, जयपुर .....प्रत्यर्थी

**खण्डपीठ**
**श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य**
**श्री मोहन लाल नेहरा–सदस्य**

**उपस्थित : :**
श्री अलकेश शर्मा
अधिकृत अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

**दिनांक : 29/02/2016**

## निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), चतुर्थ, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 17/अपील्स–चतुर्थ/2007–08/सी में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.12.2009 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी मिनरल वाटर का निर्माण कर कन्टेनर्स(जार) में पैक करके विक्रय करता है। सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, वृत–सी, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के आलौच्य अवधि 01.04.2004 से 31.03.2005 (वर्ष 2004–05) का कर निर्धारण आदेश दिनांक 30.03.2007 को पारित करते हुए कर योग्य बिक्री रू0 1,32,480/– पर 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 18,547/–, बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 3,709/– एवं धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 5,5,64/– कुल रूपये 27,820/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.12.2009 से अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह प्रस्तुत की गयी।

3. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को विधिविरूद्ध बताते हुए कथन किया कि कैम्पर का उपयोग सिर्फ पानी को सुरक्षित क्रेता तक पहुंचाने के लिये किया जाता है, ना कि पानी के साथ ही विक्रय कर दिया जाता है। राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार वह पानी कर योग्य है, जो कन्टेनर सहित

लगातार.....2

विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा कन्टेनर के विक्रय का व्यवसाय नहीं किया जाता है, बल्कि पानी को शुद्ध एवं शीतल करके विक्रय किया जाता है। कन्टेनर का उपयोग पानी के सुगम एवं सुरक्षित परिवहन हेतु किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा कैम्पर में विक्रय किया गया पानी पूर्णतः कर मुक्त है एवं अपीलार्थी द्वारा कर मुक्त ही विक्रय किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, भीलवाड़ा बनाम मैसर्स सरिता वाटर टैंक सिस्टक, भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 16.12.2004 व मै0 ईसेल एण्टरप्राइजेज,जैसलमेर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, जैसलमेर निर्णय दिनांक 18.01.2016 तथा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मै0 शिप मिनरल वाटर, जयपुर निर्णय दिनांक 11.02.2016 को उद्धरित करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस के दौरान प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(25) एफडी/ग्रुप–IV/92–पार्ट–II–21 दिनांक 28.09.1995 सपठित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स–डिवी./2000–282 दिनांक 30.3.2000 का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त अधिसूचनाओं में पानी को कर मुक्त घोषित किया गया है, किन्तु बॉटल एवं कन्टेनर में विक्रय किये जाने वाले सील्ड वाटर को कर योग्य माना गया है। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण शास्ति का आरोपण भी विधि अनुसार किया गया था एवं ब्याज का आरोपण भी विधिनुसार किया था। उक्त अधिसूचनाओं एवं प्रकरण के तथ्यों के अनुसरण में कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी थी। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को देखते हुऐ हुए अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया।

हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि 20 लीटर के कन्टेनर/रिफिल जार में बेचे जाने वाले फिल्टर वाटर/ड्रिंकिंग वाटर पर करदेयता क्या होगी ?

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एफडी/ग्रुप–IV/92–पार्ट–II–21 दिनांक 28.09.1995 की प्रविष्ठि संख्या 11 निम्न प्रकार है:–

**S.NO. 1027 : F.4(25)FDGr.IV/92-Pt.II-21 dated 28.9.1995**

**S.O. .-** In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so hereby exempts from tax under the said Act, the sale or purchase of the following goods on the conditions and exceptions as mentioned against them, namely:-

लगातार.....3

**11. Water excluding distilled, mineral or aerated waters.**

इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफडी/टैक्स–डिवी./2000–282 दिनांक 30.3.2000 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.9.1995 की प्रविष्ठि संख्या 11 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :–

**S.NO. 1158 : F.4(1)FD/Tax Div./2000-282 dated 30.3.2000**

**S.O.358.-** In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995) the State Government being of the opinion, that it is expedient in the public interest to do so, hereby makes the following amendments, in this Department's notification No. **F.4(25)FDGr.IV/92-Pt.II-21 (S.No.791) dated 28.09.1995**, namely:-

**AMENDMENT**

In the said notification-

For the existing entry "Water excluding distilled, mineral or aerated waters." at Item No., 11, the following shall be substituted, namely-

**"11. Water excluding (a) water sold in sealed bottles or containers: (b) distilled water, (c) mineral water: and (d) aerated waters."**

माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त **मैसर्स बालकृष्ण हैचरीज** में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"Karnataka Sales Tax Act, 1957 - Section 5(3)(a), Entry 22 of the Fifth Schedule of the Karnataka Sales Tax Act, 1957 and Entry 8(viii) of Part-F of Second Schedule - "Whether dressed chicken when sold in a polythene bag which is closed by a staple or closed by crimping and twisting an aluminium wire around the crimp can be considered to be a sale in the sealed container? If it is sale in a sealed container, it is not exempt from Sales Tax but if it is not, it is exempt. "While allowing the appeal, the Supreme Court held that :- "In our opinion in cases of both stapling and crimping the staple and pins can be removed by the customer without breaking anything It is thus held that the chicken in question is not sold in sealed container."

उपरोक्त अधिसूचनाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णय में दी गई व्यवस्था तथा कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा बेचा गया पानी का कन्टेनर सील्ड कन्टेनर नहीं है। पानी को कन्टेनर सहित नहीं बेचा जाता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कन्टेनर में बिक्रीत पानी कर योग्य माल की श्रेणी में नहीं आने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा कर योग्य मानते हुए विधिक त्रुटि की गयी है

इसी प्रकार अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति आरोपित किये जाने से पूर्व कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को कोई विशिष्ट नोटिस दिया जाना भी कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली से स्पष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण भी विधिसम्मत नहीं माना जा सकता तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति यथावत रखे जाने में विधिक त्रुटि की है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.12.2009 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

29/02/16

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

29-2-2016

( ईश्वरी लाल वर्मा )
सदस्य